

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ 15ज( )18 / श्रम / प्रमुवसं /

दिनांक

निमित्त,

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,

जयपुर / कोटा / उदयपुर / अजमेर / भरतपुर / बीकानेर / जोधपुर।

मुख्य वन संरक्षक, (वन्यजीव) जयपुर / कोटा / उदयपुर / जोधपुर।

मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना रणथम्भौर, सवाई  
माधोपुर / सरिस्का।

मुख्य वन संरक्षक, वनवर्धन जयपुर / एफपीआरपी, जयपुर / आरवीपी कोटा / एवं निदेशक,  
राज0 वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर।

विषय:--Admissibility of Assured Career Progression (ACP) Scheme under the  
Rajasthan Work-charged Employees (Revised Pay) Rules[ 2008 and  
Rajasthan Work-Charged Employees (Revised Pay) Rules, 2017.

सन्दर्भ:--इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2078-2200 दिनांक 29.06.2022 एवं पत्र क्रमांक  
3180-3260 दिनांक 30.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि विभाग में कार्यरत कार्य  
प्रभारित कर्मकारों को वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 30.05.2022 में दिए गए निर्देशानुसार  
कार्यवाही हेतु पूर्व में भी आपको निर्देश प्रदान किए गए थे। उक्त निर्देशों के क्रम में आप द्वारा मेमोरेण्डम में  
दिए गए निर्देशों की पालना की अद्यतन स्थिति से संबंधित सूचना दिनांक 16.12.2022 तक  
आवश्यक रूप से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाये।

भवदीय,



(राजीव चतुर्वेदी)

मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

राज0 जयपुर

दिनांक 14/12/22

क्रमांक:एफ 15ज( )18 / श्रम / प्रमुवसं / 3951-4051

प्रतिलिपि निम्न को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित  
है।

1. समस्त उप वन संरक्षक / कार्य आयोजना अधिकारी / भू-संरक्षण अधिकारी / वन बन्दोबस्त  
अधिकारी।
2. कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को वेवसाईट पर अपलोड हेतु।



(राजीव चतुर्वेदी)

मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

राज0 जयपुर